



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 ज्येष्ठ, 1945 (श०)

संख्या - 17 राँची, बुधवार

24 मई, 2023 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 141-148
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के
आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए.,
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग और
2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड.,
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम
छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ
एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम
'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित
विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के
प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के
पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक,
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ,
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ
इत्यादि।

पूरक--

...

...

पूरक "अ"

...

...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

13 अप्रैल, 2023

संख्या-4/नि०सं०-12-10/2017-20159 (HRMS)--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री मनीष कुमार, कोटि क्रमांक-581/20 (पंचम बैच, गृह जिला-खगड़िया, बिहार) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ -6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण संपुष्ट की जाती है :-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	Current Office Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	MANISH KUMAR- (110007710624)	DC OFFICE HAZARIBAGH	<u>PADMA BLOCK</u> <u>.HAZARIBAGH</u> Block Development Officer	15/06/2016	19/12/2021

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के उप सचिव ।

जीपीएफ संख्या:PTS/CAC/16

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

13 अप्रैल, 2023

संख्या-4/नि०सं०-12-03/2018-20160 (HRMS)--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री पावन आशीष लकड़ा, कोटि क्रमांक-551/20 (पंचम बैच, गृह जिला-गुमला) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ -6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण संपुष्ट की जाती है :-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	Current Office Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	PAWAN ASHISH LAKRA- (110087710617)	DC OFFICE RANCHI	<u>SILLI BLOCK</u> <u>,RANCHI</u> Block Development Officer	15/06/2016	15/06/2018

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के उप सचिव ।

जीपीएफ संख्या:PTS/CAC/16

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

31 मार्च, 2023

संख्या-4/नि०सं०-12-07/2018 का० 1836--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्रीमती पियूषा शालीना डोना मिंज (कोटी क्रमांक 568/20), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटमदा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा उपभोग किये गये अवकाश अवधि दिनांक 02.11.2022 से 11.01.2023 तक (कुल 71 दिन) को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230, 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,
सरकार के उप सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

31 मार्च, 2023

संख्या-1/विविध-814/2020 का. -1885--श्रीमती मेघा भारद्वाज, भा.प्र.से. (झा:2016), संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, चि०शि० एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 18 के तहत दिनांक 17.03.2023 से 12.09.2023 तक कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

31 मार्च, 2023

संख्या-1/विविध-8017/05 का.- 1886--श्री प्रशांत कुमार, भा.प्र.से. (झा:2004), सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 27.04.2023 से 04.05.2023 तक कुल 08 दिनों का उपार्जित अवकाश (Ex-India Leave) की स्वीकृति तथा दिनांक 05.05.2023 से 07.05.2023 तक के सार्वजनिक/राजपत्रित अवकाश का उपभोग करने एवं उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

31 मार्च, 2023

संख्या-1/विविध-839/2013 का.- 1894--श्री भुवनेश प्रताप सिंह भा.प्र.से. (झा:2012), परियोजना निदेशक, झारखण्ड राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी, राँची को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 03.04.2023 से 10.04.2023 तक कुल 08 दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 01.04.2023 एवं 02.04.2023 के शनिवारीय/रविवारीय अवकाश का उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

19 अप्रैल, 2023

संख्या-4/नि०सं०-12-101/2020का.-2285--वित्त विभागीय संकल्प संख्या-551 दिनांक-01.03.2007 के आलोक में श्रीमती अनु प्रिया, झा०प्र०से०, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टोन्टो, पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा गर्भवहानि के कारण उपभोग की गई अवकाश अवधि दिनांक 26.12.2022 से 31.01.2023 तक (कुल 37 दिन) को मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,
सरकार के उप सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

12 अप्रैल, 2023

सं०सं०-4/नि०सं०-12-136/2014 का० 2139--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री विजय नाथ मिश्रा, झा०प्र०से० (कोटी क्रमांक-169/20) कार्यपालक दण्डाधिकारी, खूँटी द्वारा उपभोग की गई अवकाश अवधि दिनांक 24.04.2022 से 05.06.2022 तक (कुल 43 दिन) को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227,230,248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,
सरकार के उप सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

11 अप्रैल, 2023

संख्या-4/नि0सं0-12-72/2014-20026 (HRMS)--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्रीमती ब्रजलता, कोटि क्रमांक- 200/20 (तृतीय बैच, गृह जिला-पटना, बिहार) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण संपुष्ट की जाती है।

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	Current Office Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	BRAJ LATA- (110001163096)	DC OFFICE RANCHI	<u>D C OFFICE</u> <u>RANCHI</u> <u>,RANCHI</u> Executive Magistrate	12/08/2010	21/01/2022

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के उप सचिव ।

जीपीएफ संख्या:PTS/CAC/16

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

6 अप्रैल, 2023

संख्या-1/विविध-824/2012 का०- 2001--श्री एल० खियांगते, भा.प्र.से. (झा:1988), महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची को -

1. निजी व्यय पर फ्रांस और इटली (विदेश) की यात्रा हेतु अनुमति/अनापत्ति तथा
2. अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 22.05.2023 से 31.05.2023 तक कुल 10 दिनों का उपार्जित अवकाश (Ex-India Leave) की स्वीकृति तथा दिनांक 20.05.2023 एवं 21.05.2023 के सार्वजनिक/राजपत्रित अवकाश का उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।
